सरयू राय

मंत्री
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड सरकार।

झारखण्ड सरकार

पत्रांक : आ.का./91/18
दिनांक: 25.04.2018

मुख्यमंत्री सचिवालय
झारखण्ड
26/04/2018
तिथि........
निर्णय........

सेवा में,
माननीय मुख्यमंत्री,
झारखंड सरकार.

झारक्राफ्ट में भ्रष्टाचार एवं घोटाला की खबरें राज्य के प्रमुख अखबारों में विगत कई दिनों से विस्तार से छप रही हैं. ये खबरें नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक द्वारा अंकेक्षण के दौरान पाये गये घोटाला के प्रमाणों पर आधारित हैं. राज्य के विकास आयुक्त ने झारक्राफ्ट द्वारा कम्बलों के निर्माण एवं खरीद में हुई गड़बड़ी की निगरानी जांच कराने का आदेश करीब एक माह पूर्व सचिव, उद्योग एवं खान विभाग सह प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय को दिया है. परन्तु इस पर कोई कार्रवाई होने की सूचना अबतक नहीं है.

समाचार पत्रों में छपी खबरों के विस्तार में जाने पर प्रतीत हो रहा है कि इस घोटाला में भी आरोपियों ने वही तरीका अपनाया है जो तरीका बिहार के कुख्यात पशुपालन घोटाला के अभियुक्तों ने अपनाया था. आपको स्मरण होगा कि पशुपालन घोटाला मैंने उजागर किया था और घोटाला की सी.बी.आई. जांच हेतु पटना उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त किया था. इस मामले में आज भी मुकदमे चल रहे हैं. इसलिए झारक्राफ्ट के इस घोटाला को गंभीरता से लेना चाहिए ताकि लोगों में यह संदेश नहीं जाय कि जिन लोगों ने पशुपालन घोटाला के अभियुक्तों को सजा दिलवाई उन्हीं की सरकार में ऐसा घोटाला उजागर होने तथा सक्षम अधिकारी द्वारा इसकी निगरानी जांच कराने के निर्देश के एक माह बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. विकास आयुक्त के निदेशों के आलोक में झारक्राफ्ट घोटाले की उच्चस्तरीय जांच अविलंब होनी चाहिए और जो व्यक्ति प्रथमदृष्टया इसमें संलिप्त प्रतीत हो रहे हैं उनके विरूद्व अविलंब कानून की सुसंगत धाराओं में आपराधिक कार्रवाई आरम्भ कर देनी चाहिए. इसमें विलम्ब होने से लोगों में गलत संदेश जा रहा है।

विगत दो दिनों से घोटाला की आरोपी झारक्राफ्ट के सी.ई.ओ. द्वारा त्यागपत्र देने और त्यागपत्र देने के बाद उद्योग निदेशक पर गंभीर आरोप लगाने की खबरें भी विगत दो दिनों से समाचार पत्रों में प्रमुखता से छप रही हैं. उद्योग निदेशक ने भी अपने बचाव में वक्तव्य दिया है आरोप–प्रत्यारोप की ऐसी खबरों के सार्वजनिक होने पर भी सरकार द्वारा इस पर कार्रवाई नहीं किये जाने से तरह–तरह की चर्चायें चलना शुरू हो गयी हैं. ऐसी परिस्थिति में झारक्राफ्ट के सी.ई.ओ. का त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए. इनका त्यागपत्र स्वीकार करने से सन्देश जायेगा कि सरकार इनका बचाव कर रही है और मामले को रफा–दफा करना चाह रही है. इनके विरूद्व अविलंब प्राथमिकी दायर कर

कार्यालय : झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची। आवास : 1, ए.जी. मोड़ डोरण्डा, राँची।
दूरभाष : 0651–2401023, फैक्स : 0651–2402455, मो. : 9431114466
ई.मेल : saryuroyoffice@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner

कार्रवाई आरंभ होनी चाहिए. इनकी नियुक्ति झारक्राफ्ट के सी.ई.ओ. के पद पर किस परिस्थिति में, किस प्रक्रिया से और इनकी किस विशेषज्ञता को ध्यान में रखकर की गई इसे भी जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए.

झारक्राफ्ट में ये अनियमिततायें काफी दिनों से चल रही थीं. नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक ने अंकेक्षण में इन्हें संपुष्ट किया, विकास आयुक्त ने इस पर संज्ञान लिया और कार्रवाई का निर्देश दिया, परन्तु आश्चर्य है कि उद्योग सचिव, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के सचिव भी हैं, उनके ध्यान में ये अनियमिततायें इतने दिन में क्यों नहीं आई? इसे किसी ने जानबुझ कर ये जानकारियॉ उद्योग सचिव से छुपाया या उद्योग विभाग के अधिकारी इसके प्रति लापरवाह रहे इसका भी खुलासा होना चाहिए.

विकास आयुक्त ने इस घोटाले की जांच निगरानी से कराने का निर्देश दिया है परन्तु मुझे लगता है कि इसकी जांच सी.बी.आई. सदृश किसी सक्षम केन्द्रीय एजेन्सी से कराने की कार्रवाई राज्य सरकार को करनी चाहिए.

सादर,

भवदीय

सरयू राय 25.4.18

Scanned with OKEN Scanner